

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी)

राजस्व लोक अदालत कैम्प रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-51/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183-188 राजस्थान कस्तकारी अधिनियम 1955

- 1-श्री भैरूलाल पिता चम्पालाल राव, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री ओमप्रकाश पिता सत्यनारायण राव, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील भीलवाड़ा
- 3-श्री राकेश पिता सत्यनारायण राव, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 4-सीता पत्नि सत्यनारायण राव, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 5-मधु पुत्री सत्यनारायण राव, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 6-अनिता पुत्री सत्यनारायण राव, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान)

-----वादीगण

बनाम

- 1-श्री विजय सिंह पिता विश्वो सिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील भीलवाड़ा
- 2-श्री मिठूसिंह पिता विजयसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील भीलवाड़ा
- 3-श्री गोपाल सिंह पिता विजयसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा


-----प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 11.6.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्च लेखों प्रतिलिखित रूपों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिलिखित प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के इस अण्य की जारी की जाती है कि ग्राम रीछड़ा पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी 412 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा भूमि के पश्चिम सीमा पर 02 गट्टा एवं पूर्वी सीमा पर 2 गट्टा भूमि उत्तर की पड़ोसी प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 411 के अन्दर दबी हुई होने से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुये कब्जा वादीगण को दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस अण्य की जारी की जाती है कि वह वादीगण के कब्जे कस्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें, न किसी


उपखण्ड अधिकारी
रीछड़ा


अन्य से करावें। तथा वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने दें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।


(सुनिता यादव)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
न्यायालय की मोहर से जारी

की गयी ।

आज दिनांक 11.6.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं


उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा